

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मेसर्स कंसल्टिंग रूम प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8895

(के साथ 2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 9205)

07 अगस्त 2023

(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी)

विचार के लिए मुद्दा

क्या नियम 46(4)(iii) के अंतर्गत प्रयुक्त विवेक मनमाना था जब आदेश में कारणों का अभाव था?

हेडनोट्स

हालांकि अपीलीय प्राधिकरण को नियम 46(4)(iii), बिहार वैट नियमावली, 2005 के अंतर्गत शर्तें और आंशिक भुगतान निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह विवेक न्यायपूर्ण तरीके से और युक्तिसंगत सोच के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। इस मामले में, याचिकाकर्ता को अपील दायर करते समय पहले ही 20% कर जमा करने के बावजूद, कुल माँग (जुर्माना और ब्याज सहित) का 40% अतिरिक्त भुगतान करने का निर्देश बिना किसी कारण बताए दिया गया। यह आदेश मूल्यांकन आदेश के तथ्यों या याचिकाकर्ता की दलीलों पर विचार किए बिना पारित किया गया था। (कंडिका - 14)

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि भले ही याचिकाकर्ता ने धारा 72 के अंतर्गत आवश्यक प्रारंभिक जमा कर दिया हो, फिर भी उसे पृथक से स्थगन के लिए आवेदन देना होता है,

जिसे सक्षम प्राधिकारी को एक माह के भीतर न्यायोचित सुनवाई के पश्चात तय करना होता है। (कंडिका - 10)

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने आकलन अधिकारी द्वारा पुस्तकों के अवलोकन के लिए याचिकाकर्ता को अपर्याप्त समय दिए जाने की निंदा की और इसे प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध माना। मूल्यांकन आदेश जल्दबाजी में पारित किया गया, जिसकी न्यायालय ने आलोचना की। (कंडिका - 15)

अतः दोनों रिट याचिकाओं में पारित स्थगन आदेशों को निरस्त किया गया और प्रथम अपील के निस्तारण तक कर वसूली पर स्थगन प्रदान किया गया। (कंडिका - 17)

न्याय दृष्टान्त

मैक्नाली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, सिविल मिस. संख्या 8562 / 2021

अधिनियमों की सूची

बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005; केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956; बिहार मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2005

मुख्य शब्दों की सूची

कर वसूली पर स्थगन; वैट आकलन; नियम 46(4), बिहार वैट नियमावली; न्यायिक विवेकाधिकार; प्रारंभिक जमा शर्त; कारणसहित आदेश; प्राकृतिक न्याय; इनपुट टैक्स क्रेडिट; ब्याज और जुर्माना; अपील प्रक्रिया;

प्रकरण से उत्पन्न

वर्ष 2017-18 के लिए मूल्यांकन आदेशों के विरुद्ध वैट अधिनियम और सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अपील, जिनमें आंशिक भुगतान की शर्तों के साथ स्थगन आदेश पारित किए गए थे।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8895

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री मृगांक मौलि, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री बृस्केतु शरण पांडेय, अधिवक्ता; श्री मदन कुमार, अधिवक्ता ; श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता की ओर से: श्री विकास कुमार, स्थायी अधिवक्ता-11

के साथ

2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8895

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री मृगांक मौलि, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री बृस्केतु शरण पांडेय, अधिवक्ता; श्री मदन कुमार, अधिवक्ता ; श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या.8895

=====

मेसर्स कंसल्टिंग रूम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पता- गृह संख्या 1, डॉ. राम गोविंद सिंह पथ, पंच शिव साई मंदिर के पीछे, कंकड़बाग, पटना, बिहार में अपने अधिकृत प्रतिनिधि आश्रय सचदेवा के माध्यम से है, आयु लगभग 30 वर्ष (एम), पुत्र-अजय सचदेवा, निवासी-37/3, ब्लॉक 37, पुराने राजेंद्र नगर, डाक घर और थाना राजेंद्र नगर, नई दिल्ली।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
3. वाणिज्यिक करों के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना।
4. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना।

... ... उत्तरदाता/ओं

=====

2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 9205

=====

मेसर्स कंसल्टिंग रूम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पता- गृह संख्या 1, डॉ. राम गोविंद सिंह पथ, पंच शिव साई मंदिर के पीछे, कंकड़बाग, पटना, बिहार में अपने अधिकृत प्रतिनिधि आश्रय सचदेवा के माध्यम से है, आयु लगभग 30 वर्ष (एम), पुत्र-अजय सचदेवा, निवासी-37/3, ब्लॉक 37, पुराने राजेंद्र नगर, डाक घर और थाना राजेंद्र नगर, नई दिल्ली।

... ...याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. वाणिज्यिक करों के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना।
4. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना।

... ... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

(2023 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 8895 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री ब्रिस्केतू शरण पांडे, अधिवक्ता

श्री मदन कुमार, अधिवक्ता

श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं : श्री विकाश कुमार,एससी-11

(2023 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 9205 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री ब्रिस्केतू शरण पांडे, अधिवक्ता

श्री मदन कुमार, अधिवक्ता

श्री अभिषेक कुमार

उत्तरदाता/ओं : श्री विकास कुमार, एससी-11

=====

कोरम: माननीय मुख्य न्यायमूर्ति

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय मुख्य न्यायमूर्ति)

दिनांक:07-08-2023

याचिकाकर्ता बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (संक्षिप्तता के लिए, 'वैट अधिनियम') के तहत एक कर निर्धारिती था और वैट अधिनियम और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम दोनों के तहत मूल्यांकन वर्ष के लिए अपील में पारित आदेशों से व्यथित है। दायर की गई अपील वाद में, कर निर्धारिती ने वसूली पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया और दोनों अधिनियमों के तहत, प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने कुल विवादित राशि का 40 प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश दिया।

2. श्री मृगांक मौली, विद्वान वरिष्ठ वकील, कर निर्धारिती की ओर से पेश हुए और बताया कि 40 प्रतिशत के दायित्व के साथ कर निर्धारिती पर विचार करते समय बिल्कुल कोई विचार नहीं किया गया है, जबकि अपील लंबित थी। यह भी बताया गया है कि कर निर्धारिती के पास निर्धारिती पर लगाए गए कर दायित्व की तुलना में अधिक निवेश कर क्रेडिट है। कुल देय राशि में वह ब्याज और जुर्माना शामिल है जिसकी गणना जमा करने के उद्देश्य से अपील प्रावधान के तहत नहीं की गई है, जो केवल कर देयता की बात करता है।

3. दूसरी ओर, विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री विकास कुमार बताते हैं कि धारा 72 के तहत पूर्व-जमा पर जोर देने के बावजूद, कर निर्धारिती को बिहार मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 (संक्षिप्तता के लिए, नियम) के नियम 46 के तहत वसूली पर रोक लगाने के लिए आवेदन दायर करने में सक्षम बनाया गया है। पूर्व-जमा आवश्यक रूप से कर निर्धारिती को वसूली से मुक्त नहीं करता है। अंतरिम स्तर पर प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किए गए विचार को नियम 46 के तहत प्रावधान और सी डब्लू जे सी में इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिनांक 06.12.2021 आधिकारिक घोषणा के अनुसार गलत नहीं ठहराया जा सकता है। सी डब्लू जे सी 2021 का संख्या 8562, जिसका शीर्षक **मैकनली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य**

4. वैंट अधिनियम के तहत मामले के तथ्यों को देखते हुए, स्थगन का विवादित आदेश 2023 के सी डब्लू जे सी संख्या 8895 में अनुलग्नक-पी/1 में प्रस्तुत किया गया है और मूल्यांकन आदेश अनुलग्नक-पी/2 में है, जो अनुलग्नक-पी/4 में दिनांकित 14.03.2023 के नोटिस के अनुसार था। याचिकाकर्ता ने एक जवाब दायर किया, अनुलग्नक-पी/4 द्वारा जारी नोटिस के लिए अनुलग्नक-पी/5 दिनांक 30.03.2023 और अनुलग्नक-पी/2 आदेश पारित किया गया था।

5. जहां तक सी. एस. टी. अधिनियम का संबंध है, स्थगन आदेश दिनांक 02.06.2003 के अनुलग्नक-पी/1 के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और जारी किए गए

नोटिस और आदेश भी वैंट अधिनियम के मामले में उसी तारीख के होते हैं; 2023 के C.W.J.C. संख्या 9205 में उत्पादित।

6. दोनों अंतरिम आदेशों में कहा गया है कि कर निर्धारिती ने अपील दायर करते समय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित कर का 20 प्रतिशत भुगतान कर दिया है। आगे का निर्देश है कि कुल मांग का 40 प्रतिशत राशि का भुगतान करना है, जिसमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल है, जिस पर ही शेष राशि की वसूली पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था।

7. हमने वैंट अधिनियम और नियमों के नियम 46 के तहत अपील के प्रावधानों को देखा है, जो सी. एस. टी. अधिनियम के लिए भी लागू होते हैं। धारा 72 में 'उपायुक्त और संयुक्त आयुक्त को अपील' का नाममात्र शीर्षक है, जो प्रथम अपील के लिए प्रावधान है। उप-धारा (1) राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन, निर्धारण के आदेश या कर विहित प्राधिकारी द्वारा पारित ब्याज या जुर्माना लगाने वाले आदेश से दायर की जाने वाली अपील का प्रावधान करती है। अपील करने की शर्त के रूप में, उप-धारा (2) के तहत, निर्धारित कर का 20 प्रतिशत या स्वीकृत कर की पूरी राशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने की आवश्यकता है। उप-धारा (3) अपील दायर करने में देरी के संदर्भ में है और उप-धारा (4) उस तरीके को निर्धारित करती है जिसमें अपील जिनका निपटारा कर दिया गया है, जो यहां उठाए गए मुद्दे के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। धारा 72 की उप-धारा (5) में आदेश दिया गया है कि प्रावधान के तहत कोई भी आदेश कर निर्धारिती और उस प्राधिकरण को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा जिसका आदेश विवादित है।

8. नियम 46 पुनरीक्षण के लिए अपील या आवेदन के निपटारे से संबंधित है। उप-नियम (1) में अपील या संशोधन को संक्षिप्त रूप से खारिज करने का प्रावधान है यदि यह नियम 45 की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है, इस प्रावधान के साथ कि संक्षेप

में बर्खास्तगी से पहले सुनवाई अनिवार्य है। उपनियम (2) सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद फिर से किसी अन्य उचित आधार पर ऐसी संक्षिप्त बर्खास्तगी की अनुमति देता है। उपनियम (3) प्रस्तुत किए जाने के 30 दिनों के भीतर अपील को स्वीकार या अस्वीकार करने का प्रावधान करता है; अस्वीकृति के आदेश से पहले सुनवाई का अवसर सुनिश्चित करना। उपनियम (4) में पाँच खंड हैं; खंड (i) कर निर्धारिती/अपीलार्थी को विवादित आदेश से उत्पन्न कर, जुर्माना या ब्याज की विवादित राशि की वसूली पर रोक लगाने के लिए प्रार्थना करने में सक्षम बनाता है, जिसके लिए एक अलग आवेदन किया जाना है जो मूल्यांकन और मांगी गई राशियों की गणना करने वाले तथ्यों का विवरण देता है। खंड (ii) अपीलीय प्राधिकरण से एक अपील में स्थगन आवेदन पर विचार करने की अपेक्षा करता है, जिस पर विचार किया गया है, अंतरिम आवेदन की प्रस्तुति की तारीख से एक महीने के भीतर ऐसी याचिका की सुनवाई और निपटान का अवसर। खंड (iii) अपीलीय प्राधिकरण को अपने विवेकाधिकार पर ऐसे नियमों और शर्तों पर आंशिक रूप से या पूरी तरह से कर या ब्याज की राशि की प्राप्ति पर रोक लगाने के लिए लिखित आदेश देने का अधिकार देता है, जो प्राधिकरण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे। खंड (iv) यह आदेश देता है कि जब राशि के एक हिस्से के भुगतान पर वसूली पर रोक लगाने के लिए एक सशर्त आदेश पारित किया जाता है, तो कर निर्धारिती को निर्दिष्ट तिथियों तक ऐसा भुगतान करना होता है और खंड (v) में प्रावधान है कि ऐसी शर्त का निर्दिष्ट तिथि के भीतर या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विस्तारित रूप से पालन नहीं किया जाने की स्थिति में, तब वसूली पर लगाई गई रोक स्वतः ही खाली हो जाएगी।

9. **मैकनली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड**(उपरोक्त), इस न्यायालय ने प्रावधानों को देखा और अभिनिर्धारित किया कि धारा 72 के तहत सभी मामलों में; 30 दिनों के भीतर, अपीलीय प्राधिकरण या तो अपील को स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा; जो आदेश नियम 46 (4) के तहत पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन पर जोर दिए बिना किया

जाएगा।अपील को प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा, जिसके त्वरित निपटान के उपाय से केवल आर्थिक विकास होगा जिसके लिए राज्य कर आयुक्त उचित कदम ले सकते हैं

10. हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 72 के तहत अनिवार्य केवल पूर्व-जमा, कर निर्धारिती को एक मूल्यांकन आदेश के आधार पर उठाई गई मांग के अनुसार भुगतान करने से मुक्त नहीं करता है।यदि वसूली पर रोक लगानी है, तो कर निर्धारिती को अनिवार्य रूप से नियम 46 (4) (i) के तहत प्रदान किए गए स्थगन के लिए एक आवेदन दायर करना होगा, जिस पर प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत करने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर विचार किया जाना चाहिए।

11. हम मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे जाने वाले ऐसे नियमों और शर्तों पर स्थगन याचिका का निपटारा करने के लिए नियम 46 (4) (iii) के तहत प्राधिकरण को दिए गए विवेकाधिकार पर भी विवाद नहीं कर सकते।हमें सुनवाई के उचित अवसर पर भी जोर देना होगा, जैसा कि नियम 46 (4) के खंड (ii) द्वारा अनिवार्य है।उपरोक्त प्रावधान से जो बात व्यक्त होती है वह यह है कि अपीलीय प्राधिकरण को किसी भी नियम और शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार है, जिसमें मांग का आंशिक भुगतान भी शामिल है, लेकिन इसे उचित तरीके से करने के बाद विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।यह सुनवाई का एक उचित अवसर देने में अधिदेश का सार है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसे नियमों और शर्तों पर वसूली पर रोक लगाने के लिए प्राधिकरण पर लगाया गया विवेकाधिकार भी है जो उचित और उचित समझे जाते हैं।

12. विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसा कि कोई भी संगत व्यक्ति करेगा और मूल्यांकन आदेश से सामने आने वाले विशेष तथ्यों पर भी।एक प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज किया जाना चाहिए कि क्या मूल्यांकन उचित है या नहीं,कर निर्धारिती

को पूरी राशि या आंशिक राशि का भुगतान करना चाहिए जब तक कि अपील लंबित है और जिन परिस्थितियों के तहत कर निर्धारिती पर ऐसी शर्त लगाई गई है।

13. हम मैकनली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) में उस प्रस्ताव से कुछ भी विचलित करने वाला नहीं पाते हैं जिसे हमने चित्रित किया है या उसके विपरीत है। हमें अनिवार्य रूप से इस बात पर विचार करने के लिए कहा जाता है कि क्या वर्तमान आदेशों को उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर पारित करने के इरादे से पारित किया गया है।

14. दोनों विवादित आदेश, लेकिन कर निर्धारिती द्वारा निर्धारित कर के 20 प्रतिशत जमा के बारे और कुल मांग को बताने के साथ-साथ बाद की राशि के 40 प्रतिशत के भुगतान का निर्देश देने के लिए; पारित आदेशों में कोई विचार नहीं देखा गया है। विवादित आदेश एक तर्कपूर्ण विचार की श्रेणी में नहीं आते हैं, जो तब आवश्यक है जब तथ्यों और परिस्थितियों पर सुनवाई का उचित अवसर और विवेकपूर्ण विवेक का प्रयोग करने के बाद विचार किया जाना है, जो प्रत्येक वाद में सामने आता है। इसमें पूरी तरह से विवेक का उपयोग नहीं किया गया है और पारित आदेश अनिवार्य प्रकृति के होते हैं; न तो कर निर्धारिती द्वारा दिए गए तर्कों को स्वीकार करते हैं और न ही मूल्यांकन आदेश से उत्पन्न तथ्यों और परिस्थितियों से निपटते हैं, जिसमें कर का निर्धारण किया जाता है। विवेकाधिकार का उपयोग सबसे मनमाने तरीके से किया गया है और हमें उक्त आदेशों को बनाए रखने का कोई कारण नहीं मिलता है।

15. हम दोनों रिट याचिकाओं में अनुलग्नक-पी/1, स्थगन आदेश को दरकिनार रखते हैं। इस संदर्भ में, हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि निर्धारण कर अधिकारी मूल्यांकन के लिए किस तरह आगे बढ़े। जैसा कि हम अभिलेख से देखते हैं, 27.03.2023 को सुनवाई की तारीख के साथ 14.03.2023 को एक नोटिस जारी किया गया था। कर निर्धारिती ने 27.03.2023 दिनांकित एक ई-मेल के माध्यम से, अप्रैल, 2017 से जून, 2017 की अवधि के लिए कंपनी के खातों की पुस्तकें प्रस्तुत करने के लिए समय

मांगा, जो मूल्यांकन वर्ष 2017-18 के लिए वैट अवधि है। कर आकलन अधिकारी ने उसी सुनवाई की तारीख से तीन दिन बाद मामले को 30.03.2023 को प्रकाशित किया और उसी दिन मूल्यांकन का आदेश पारित किया।

15. हम मूल्यांकन अधिकारियों को चेतावनी देते हैं कि ऐसे आदेश देने से बचे जो अनावश्यक जल्दबाजी में हो और जो विवेकपूर्ण विचार और नोटिस का जवाब देने के लिए प्रदान किए गए उचित अवसर के खिलाफ होगा।

16. हम रजिस्ट्री को आदेश की एक प्रति बिहार राज्य के कर आयुक्त को भेजने का निर्देश देते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके अधिकारी सभी मामलों में उचित अवसर के सिद्धांत का ईमानदारी से पालन करें।

17. विवादित आदेशों को दरकिनार करते हुए रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है। अपीलों की सुनवाई की जाएगी और कर निर्धारिती इसमें सहयोग करेगा। मूल्यांकन आदेशों के विरुद्ध वसूली पर रोक तब तक रहेगी जब तक कि पहली अपील का निपटारा नहीं हो जाता।

18. रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है, जिससे पक्षकारों को अपनी-अपनी लागतों का वहन करना पड़ता है।

(के. विनोद चंद्रन, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति)

(पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

आदित्य/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक,

कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का दीवानी क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8895

=====

मेसर्स कंसल्टिंग रूम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पता हाउस नंबर 1, डॉ. राम गोविंद सिंह पथ, पंच शिव साई मंदिर के पीछे, कंकड़बाग, पटना, बिहार में अपने अधिकृत प्रतिनिधि आश्रय सचदेवा के माध्यम से है, जिनकी आयु लगभग 30 वर्ष (एम) है, अजय सचदेवा के पुत्र, 37/3, ब्लॉक 37, पुराने राजेंद्र नगर, पीओ और पीएस राजेंद्र नगर, नई दिल्ली के निवासी हैं।

.....

याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. वाणिज्यिक करों के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना।
4. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना।

.....

उत्तरदाता/ओं

=====

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 9205

===== मेसर्स कंसल्टिंग
रूम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पता
हाउस नंबर 1, डॉ. राम गोविंद सिंह पथ, पंच शिव साई मंदिर के पीछे, कंकड़बाग, पटना,
बिहार में अपने अधिकृत प्रतिनिधि आश्रय सचदेवा के माध्यम से है, जिनकी आयु लगभग
30 वर्ष (एम) है, अजय सचदेवा के पुत्र, 37/3, ब्लॉक 37, पुराने राजेंद्र नगर, पीओ और
पीएस-राजेंद्र नगर, नई दिल्ली के निवासी हैं।

.....

याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. वाणिज्यिक करों के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना।
4. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना।

.....

उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

(2023 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 8895 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री ब्रिस्केतू शरण पांडे, अधिवक्ता

श्री मदन कुमार, अधिवक्ता

श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं

श्री विकास कुमार, एससी-11

(2023 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 9205 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए:

श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री ब्रिस्केतू शरण पांडे, अधिवक्ता

श्री मदन कुमार, अधिवक्ता

श्री अभिषेक कुमार

उत्तरदाता/ओं :

श्री विकास कुमार, एससी-11

=====

कोरम: माननीय मुख्य न्यायमूर्ति

और

माननीय जस्टिस श्री पार्थ सारथी

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय मुख्य न्यायमूर्ति)

तारीख: 07-08-2023

याचिकाकर्ता बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (संक्षिप्तता के लिए, 'वैट अधिनियम') के तहत एक कर कर निर्धारिती था और वैट अधिनियम और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम दोनों के तहत मूल्यांकन वर्ष के लिए अपील में पारित आदेशों से व्यथित है। दायर की गई अपील वाद में, कर निर्धारिती ने वसूली पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया और दोनों अधिनियमों के तहत, प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने कुल विवादित राशि का 40 प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश दिया।

2. श्री मृगांक मौली, विद्वान वरिष्ठ वकील, कर निर्धारिती की ओर से पेश हुए और बताया कि 40 प्रतिशत के दायित्व के साथ कर निर्धारिती पर विचार करते समय बिल्कुल कोई विचार नहीं किया गया है, जबकि अपील लंबित थी। यह भी बताया गया है कि कर निर्धारिती के पास निर्धारिती पर लगाए गए कर दायित्व की तुलना में अधिक निवेश कर क्रेडिट है। कुल देय राशि में वह ब्याज और जुर्माना शामिल है जिसकी गणना जमा करने के उद्देश्य से अपील प्रावधान के तहत नहीं की गई है, जो केवल कर देयता की बात करता है।

3. दूसरी ओर, विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री विकास कुमार बताते हैं कि धारा 72 के तहत पूर्व-जमा पर जोर देने के बावजूद, कर निर्धारिती को बिहार मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 (संक्षिप्तता के लिए, नियम) के नियम 46 के तहत वसूली पर रोक लगाने के लिए आवेदन दायर करने में सक्षम बनाया गया है। पूर्व-जमा आवश्यक रूप से कर निर्धारिती को वसूली से मुक्त नहीं करता है। अंतरिम स्तर पर प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किए गए विचार को नियम 46 के तहत प्रावधान और C.W.J.C में इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिनांक 06.12.2021 आधिकारिक घोषणा के अनुसार गलत नहीं ठहराया जा सकता है।
सी डब्लू जे सी 2021 का संख्या 8562, जिसका शीर्षक मैकनली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड v. बिहार राज्य और अन्य

4. वैट अधिनियम के तहत मामले के तथ्यों को देखते हुए, स्थगन का विवादित आदेश 2023 के C.W.J.C. संख्या 8895 में अनुलग्नक-पी/1 में प्रस्तुत किया गया है और मूल्यांकन आदेश अनुलग्नक-पी/2 में है, जो अनुलग्नक-पी/4 में दिनांकित 14.03.2023 के नोटिस के अनुसार था। याचिकाकर्ता ने एक जवाब दायर किया, अनुलग्नक-पी/4 द्वारा जारी नोटिस के लिए अनुलग्नक-पी/5 दिनांक 30.03.2023 और अनुलग्नक-पी/2 आदेश पारित किया गया था।

5. जहां तक सी. एस. टी. अधिनियम का संबंध है, स्थगन आदेश दिनांक 02.06.2003 के अनुलग्नक-पी/1 के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और जारी किए गए नोटिस और आदेश भी वैट अधिनियम के मामले में उसी तारीख के होते हैं; 2023 के C.W.J.C. संख्या 9205 में उत्पादित।

6. दोनों अंतरिम आदेशों में कहा गया है कि कर निर्धारिती ने अपील दायर करते समय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित कर का 20 प्रतिशत भुगतान कर दिया है। आगे का निर्देश है कि कुल मांग का 40 प्रतिशत राशि का भुगतान करना है, जिसमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल है, जिस पर ही शेष राशि की वसूली पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था।

7. हमने वैट अधिनियम और नियमों के नियम 46 के तहत अपील के प्रावधानों को देखा है, जो सी. एस. टी. अधिनियम के लिए भी लागू होते हैं। धारा 72 में 'उपायुक्त और संयुक्त आयुक्त को अपील' का नाममात्र शीर्षक है, जो प्रथम अपील के लिए प्रावधान है। उप-धारा (1) राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन, निर्धारण के आदेश या कर विहित प्राधिकारी द्वारा पारित ब्याज या जुर्माना लगाने वाले आदेश से दायर की जाने वाली अपील का प्रावधान करती है। अपील करने की शर्त के रूप में, उप-धारा (2) के तहत, निर्धारित कर का 20 प्रतिशत या स्वीकृत कर की पूरी राशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने की आवश्यकता है। उप-धारा (3) अपील दायर करने में देरी के संदर्भ में है और उप-धारा (4) उस तरीके को निर्धारित करती है जिसमें अपील जिनका निपटारा कर दिया गया है, जो यहां उठाए गए मुद्दे के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। धारा 72 की उप-धारा (5) में आदेश दिया गया है कि प्रावधान के तहत कोई भी आदेश कर निर्धारिती और उस प्राधिकरण को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा जिसका आदेश विवादित है।

8. नियम 46 पुनरीक्षण के लिए अपील या आवेदन के निपटारे से संबंधित है।

उप-नियम (1) में अपील या संशोधन को संक्षिप्त रूप से खारिज करने का प्रावधान है यदि यह नियम 45 की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है, इस प्रावधान के साथ कि संज्ञेप में बर्खास्तगी से पहले सुनवाई अनिवार्य है। उपनियम (2) सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद फिर से किसी अन्य उचित आधार पर ऐसी संक्षिप्त बर्खास्तगी की अनुमति देता है। उप-नियम (3) प्रस्तुत किए जाने के 30 दिनों के भीतर अपील को स्वीकार या अस्वीकार करने का प्रावधान करता है; अस्वीकृति के आदेश से पहले सुनवाई का अवसर सुनिश्चित करना। उप-नियम (4) में पाँच खंड हैं; खंड (i) कर निर्धारिती/अपीलार्थी को विवादित आदेश से उत्पन्न कर, जुर्माना या ब्याज की विवादित राशि की वसूली पर रोक लगाने के लिए प्रार्थना करने में सक्षम बनाता है, जिसके लिए एक अलग आवेदन किया जाना है जो मूल्यांकन और मांगी गई राशियों की गणना करने वाले तथ्यों का विवरण देता है। खंड (ii) अपीलीय प्राधिकरण से एक अपील में स्थगन आवेदन पर विचार करने की अपेक्षा करता है, जिस पर विचार किया गया है, अंतरिम आवेदन की प्रस्तुति की तारीख से एक महीने के भीतर ऐसी याचिका की सुनवाई और निपटान का अवसर। खंड (iii) अपीलीय प्राधिकरण को अपने विवेकाधिकार पर ऐसे नियमों और शर्तों पर आंशिक रूप से या पूरी तरह से कर या ब्याज की राशि की प्राप्ति पर रोक लगाने के लिए लिखित आदेश देने का अधिकार देता है, जो प्राधिकरण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे। खंड (iv) यह आदेश देता है कि जब राशि के एक हिस्से के भुगतान पर वसूली पर रोक लगाने के लिए एक सशर्त आदेश पारित किया जाता है, तो कर निर्धारिती को निर्दिष्ट तिथियों तक ऐसा भुगतान करना होता है और खंड (v) में प्रावधान है कि ऐसी शर्त का निर्दिष्ट तिथि के भीतर या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विस्तारित रूप से पालन नहीं किया जाने की स्थिति में, तब वसूली पर लगाई गई रोक स्वतः ही खाली हो जाएगी।

9. मैकनली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड(उपरोक्त), इस न्यायालय ने प्रावधानों को देखा और अभिनिर्धारित किया कि धारा 72 के तहत सभी मामलों में; 30 दिनों के भीतर, अपीलीय प्राधिकरण या तो अपील को स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा; जो आदेश नियम 46 (4) के तहत पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन पर जोर दिए बिना किया जाएगा। अपील को प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा, जिसके त्वरित निपटान के उपाय से केवल आर्थिक विकास होगा जिसके लिए राज्य कर आयुक्त उचित कदम ले सकते हैं

10. हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 72 के तहत अनिवार्य केवल पूर्व-जमा, कर निर्धारिती को एक मूल्यांकन आदेश के आधार पर उठाई गई मांग के अनुसार भुगतान करने से मुक्त नहीं करता है। यदि वसूली पर रोक लगानी है, तो कर निर्धारिती को अनिवार्य रूप से नियम 46 (4) (i) के तहत प्रदान किए गए स्थगन के लिए एक आवेदन दायर करना होगा, जिस पर प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत करने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर विचार किया जाना चाहिए।

11. हम मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे जाने वाले ऐसे नियमों और शर्तों पर स्थगन याचिका का निपटारा करने के लिए नियम 46 (4) (iii) के तहत प्राधिकरण को दिए गए विवेकाधिकार पर भी विवाद नहीं कर सकते। हमें सुनवाई के उचित अवसर पर भी जोर देना होगा, जैसा कि नियम 46 (4) के खंड (ii) द्वारा अनिवार्य है। उपरोक्त प्रावधान से जो बात व्यक्त होती है वह यह है कि अपीलीय प्राधिकरण को किसी भी नियम और शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार है, जिसमें मांग का आंशिक भुगतान भी शामिल है, लेकिन इसे उचित तरीके से करने के बाद विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। यह सुनवाई का एक उचित अवसर देने में अधिदेश का सार है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसे नियमों और शर्तों पर वसूली पर रोक लगाने के लिए प्राधिकरण पर लगाया गया विवेकाधिकार भी है जो उचित और उचित समझे जाते हैं।

12. विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसा कि कोई भी संगत व्यक्ति करेगा और मूल्यांकन आदेश से सामने आने वाले विशेष तथ्यों पर भी। एक प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज किया जाना चाहिए कि क्या मूल्यांकन उचित है या नहीं, कर निर्धारिती को पूरी राशि या आंशिक राशि का भुगतान करना चाहिए जब तक कि अपील लंबित है और जिन परिस्थितियों के तहत कर निर्धारिती पर ऐसी शर्त लगाई गई है।

13. हम **मैकनली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड** (उपरोक्त) में उस प्रस्ताव से कुछ भी विचलित करने वाला नहीं पाते हैं जिसे हमने चित्रित किया है या उसके विपरीत है। हमें अनिवार्य रूप से इस बात पर विचार करने के लिए कहा जाता है कि क्या वर्तमान आदेशों को उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर पारित करने के इरादे से पारित किया गया है।

14. दोनों विवादित आदेश, लेकिन कर निर्धारिती द्वारा निर्धारित कर के 20 प्रतिशत जमा के बारे और कुल मांग को बताने के साथ-साथ बाद की राशि के 40 प्रतिशत के भुगतान का निर्देश देने के लिए; पारित आदेशों में कोई विचार नहीं देखा गया है। विवादित आदेश एक तर्कपूर्ण विचार की श्रेणी में नहीं आते हैं, जो तब आवश्यक है जब तथ्यों और परिस्थितियों पर सुनवाई का उचित अवसर और विवेकपूर्ण विवेक का प्रयोग करने के बाद विचार किया जाना है, जो प्रत्येक वाद में सामने आता है। इसमें पूरी तरह से विवेक का उपयोग नहीं किया गया है और पारित आदेश अनिवार्य प्रकृति के होते हैं; न तो कर निर्धारिती द्वारा दिए गए तर्कों को स्वीकार करते हैं और न ही मूल्यांकन आदेश से उत्पन्न तथ्यों और परिस्थितियों से निपटते हैं, जिसमें कर का निर्धारण किया जाता है। विवेकाधिकार का उपयोग सबसे मनमाने तरीके से किया गया है और हमें उक्त आदेशों को बनाए रखने का कोई कारण नहीं मिलता है।

15. हम दोनों रिट याचिकाओं में अनुलग्नक-पी/1, स्थगन आदेश को दरकिनार रखते हैं। इस संदर्भ में, हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि निर्धारण कर अधिकारी मूल्यांकन के लिए किस तरह आगे बढ़े। जैसा कि हम अभिलेख से देखते हैं,

27.03.2023 को सुनवाई की तारीख के साथ 14.03.2023 को एक नोटिस जारी किया गया था। कर निर्धारिती ने 27.03.2023 दिनांकित एक ई-मेल के माध्यम से, अप्रैल, 2017 से जून, 2017 की अवधि के लिए कंपनी के खातों की पुस्तकें प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा, जो मूल्यांकन वर्ष 2017-18 के लिए वैट अवधि है। कर आकलन अधिकारी ने उसी सुनवाई की तारीख से तीन दिन बाद मामले को 30.03.2023 को प्रकाशित किया और उसी दिन मूल्यांकन का आदेश पारित किया।

15. हम मूल्यांकन अधिकारियों को चेतावनी देते हैं कि ऐसे आदेश देने से बचे जो अनावश्यक जल्दबाजी में हो और जो विवेकपूर्ण विचार और नोटिस का जवाब देने के लिए प्रदान किए गए उचित अवसर के खिलाफ होगा।

16. हम रजिस्ट्री को आदेश की एक प्रति बिहार राज्य के कर आयुक्त को भेजने का निर्देश देते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके अधिकारी सभी मामलों में उचित अवसर के सिद्धांत का ईमानदारी से पालन करें।

17. विवादित आदेशों को दरकिनार करते हुए रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है। अपीलों की सुनवाई की जाएगी और कर निर्धारिती इसमें सहयोग करेगा। मूल्यांकन आदेशों के विरुद्ध वसूली पर रोक तब तक रहेगी जब तक कि पहली अपील का निपटारा नहीं हो जाता।

18. रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है, जिससे पक्षकारों को अपनी-अपनी लागतों का वहन करना पड़ता है।

(श्री के. विनोद चंद्रन, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति)

(श्री पार्थ सारथी, माननीय न्यायमूर्ति)

आदित्य/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।